


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
23/19	212 RTA	मोरेली	छबड़ा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
गोपाल ककर		बनाम	प्रताप सिंह

वकील :- नालमुन्द राठौर नाल (डको) आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

9/4/19	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्राधीगत के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट अस्तित्व का आवेदन किया प्रमाण दर्ज मजिस्ट्रेट किया जावे तथा अप्राधीगत को परिषद समन तलब कर पत्रावली दिनांक 24/4/19 को पेश हो।	
24/4/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के समन अभावे। वास्ते इंतजार समन पत्रावली दिनांक 4/6/19 को पेश हो।	
27/6/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते इंतजार समन पत्रावली दिनांक 16/7/19 को पेश हो।	
16/7/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 30/7/19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
30/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलबी समन वास्ते इंतजार पत्रावली दिनांक 20/8/19 को पेश हो।	

1-24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक... 29.10.24 को पेश हो।

14/10/24
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

29-10-24

पत्रावली पेश हुई। बकुलार फरीकेन उपा. जवाब का जवाब गलत पेश नहीं हुआ। एकाग्र माहौल में प्रवर्तन कार्य अवरुद्ध सिद्धे जा चुके हैं। न्यायाधीश को 500/- (08) पट एक माफक और दिए जायें। न्यायाधीश को कोर्ट के पेश नहीं दिया जाएगा। पत्रावली वापिस जवाब दिनांक 19-11-24 को पेश हो।

19-11-24

पत्रावली पेश हुई। बकुलार फरीकेन उपा. जवाब का जवाब गलत पेश नहीं हुआ। एकाग्र माहौल में प्रवर्तन कार्य अवरुद्ध सिद्धे जा चुके हैं। न्यायाधीश को पत्रावली वापिस जवाब दिनांक 18-12-24 को पेश हो।

18-12-24

पत्रावली पेश हुई। बकुलार फरीकेन उपा. बहन हेतु एकाग्र माहौल में पत्रावली वापिस बरहस दिनांक 28-1-25 को पेश हो।

29-1-25

पत्रावली पेश हुई। बकुलार फरीकेन उपा. बहन हेतु एकाग्र माहौल में पत्रावली वापिस बरहस दिनांक 11-2-25 को पेश हो।

11-2-25

पत्रावली पेश हुई। बकुलार फरीकेन उपा. वकील का प्रकरण ने आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। Not press करना चाहते हैं। प्रकरण Not press में खारिज किया जाता है। पत्रावली जवाब सुकार होकर दाखिल सुपार हो।

Not-press
14/10/24